

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प.7(10)प्राशि/आयो/2024-05208

जयपुर, दिनांक : ई-हस्ताक्षर

:- आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.31(1)शिक्षा-4/2015 जयपुर दिनांक 07 सितम्बर, 2016 एवं प.7(1)प्राशि/आयो/2016 जयपुर, दिनांक 20.09.2016 के द्वारा D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना निश्चित किया गया है।

सत्र 2025-26 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय/निजी विद्यालय का आवंटन बैठक दिनांक 13.11.2017 के कार्यवाही विवरण प. 7(5)प्राशि /आयो/2017 जयपुर, दिनांक 22.11.2017 के अनुसार करने हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं :-

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन निर्धारित तिथियों पर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा।
- 1.2 राजस्थान में संचालित निजी विश्वविद्यालयों हेतु पोर्टल से इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा।
- 1.3 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसी प्रकार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए) एवं UCEEO (ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए) के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा।
- 1.4 जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, बी.एड./डी.एल.एड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20 प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप कराना चाहते हैं वे 10 निजी विद्यालयों से सहमति पत्र प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे।

2.0 इंटर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन समय निर्धारण

- 2.1 D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार चरणों में सम्पादित की जावेगी :-

(i) प्रथम चरण :- माह-अक्टूबर 2025 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक।

(ii) द्वितीय चरण :- माह-दिसम्बर 2025 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक।

- 2.2 D.El.Ed./B.Ed. प्रथम वर्ष, B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. तृतीय वर्ष, B.Ed.M.Ed प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।
- 2.3 D.El.Ed./B.Ed. द्वितीय वर्ष, B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. चतुर्थ वर्ष, B.Ed.M.Ed द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

3.0 इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों का आवंटन की प्रक्रिया

- 3.1 जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
- 3.1.1 प्रथमतः विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों पर ही इन्टर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालयों का आवंटन किया जायेगा।
- 3.1.2 जिले में रिक्त पदों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नानुसार अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जायेगा। यदि रिक्त पद भरें बिना आवंटन किया जाता है और इस सम्बन्ध में शिकायत आती है तो प्रशिक्षणार्थी का प्रमाणन नहीं किया जायेगा।

आदर्श विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)	उत्कृष्ट विद्यालय	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	शेष समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	शेष समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय
15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+ 03 अथवा अधिकतम 6, (उक्त में से जो भी कम)	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+ 04 अथवा अधिकतम 6, (उक्त में से जो भी कम हो)	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+ 03 अथवा अधिकतम 6, (उक्त में से जो भी कम हो)	15 जून को वरिष्ठ अध्यापको एवं अध्यापको के रिक्त पद+ 04 अथवा अधिकतम 6, (उक्त में से जो भी कम हो)	15 जून को अध्यापको के रिक्त पद+ 03 अथवा अधिकतम 6, (उक्त में से जो भी कम हो)

- 3.2 रिक्तियों की गणना प्रत्येक चरण एवं पाठ्यक्रम हेतु पृथक-पृथक की जायेगी, किन्तु प्रत्येक चरण एवं पाठ्यक्रम हेतु प्रति विद्यालय में अधिकतम 6 होंगी।
- 3.3 उपरोक्तानुसार राजकीय विद्यालयों में इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उपरोक्त संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि (+/-) एवं ऑनलाईन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग हेतु राज्य सरकार के आदेश प.7(05)प्रा.शि./आयो/2017 दि. 04.09.2017 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक, RCScE जयपुर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।
- 3.4 स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में केवल अंग्रेजी माध्यम के प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकेंगे, इसके लिये सम्बन्धित महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थी का माध्यम जांच कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे।
- 3.5 शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा:-

चरण संख्या	इंटर्नशिप चरण	इंटर्नशिप हेतु आवेदन (Choice Filling) की अवधि	इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन	विद्यालय में कार्यग्रहण अवधि
प्रथम चरण	B.Ed. द्वितीय वर्ष, B.Ed.M.Ed द्वितीय वर्ष एवं B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	6-15 अक्टूबर 2025 तक	15-25 अक्टूबर 2025 के मध्य	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक
	B.Ed. प्रथम वर्ष, D.El.Ed. द्वितीय वर्ष, B.Ed.M.Ed प्रथम वर्ष एवं B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. तृतीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	01-10 जनवरी 2026 तक	15-20 जनवरी 2026 के मध्य	
द्वितीय चरण	B.Ed. द्वितीय वर्ष, B.Ed.M.Ed द्वितीय वर्ष एवं B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	01-10 दिसम्बर 2025 तक	11-15 दिसम्बर 2025 के मध्य	विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस तक

D.El.Ed./B.Ed. प्रथम वर्ष, B.Ed.M.Ed प्रथम वर्ष एवं B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. तृतीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है।	01-07 मार्च 2026 तक	08-13 मार्च 2026 के मध्य	
---	------------------------	-----------------------------	--

- 3.6 निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ट की गयी प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक की अवधि में **“पहले आओ पहले पाओ”** के सिद्धान्त के आधार पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन नहीं किया जावेगा। आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 3.7 शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जावेगा।
- 3.8 इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के 10 (दस) दिवस के भीतर प्रशिक्षणार्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर ही NCTE नॉर्मस के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित उपस्थिति देनी होगी। **बिना महाविद्यालय से कार्यमुक्त हुये प्रशिक्षणार्थी को संस्था प्रधान कार्यग्रहण नहीं करवाये एवं विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः शालादर्पण पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।**
- 3.9 विद्यालय संस्थाप्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिवस शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में ऑनलाईन दर्ज करनी होगी।
- 3.10 इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में संस्थाप्रधान/पीईईओ के निर्देशन में अध्यापन कार्य के साथ-साथ अन्य गतिविधियों यथा प्रवेशोत्सव, नो-स्कूल-बैग-डे गतिविधि एवं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इत्यादि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण गतिविधियों एवं फिल्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। **विद्यालयों में प्रशिक्षणार्थी 03 कालांश विद्यालय में अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापको की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे एवं 03 कालांश में नियमित कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करेंगे एवं शेष 02 कालांशों में विद्यालय अभिलेख संधारण, सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन एवं विभागीय योजनाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे।** इंटर्नशिप की समाप्ति पर यह रिपोर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में प्रस्तुत किये जाने एवं रिपोर्ट से संस्था प्रधान के सन्तुष्ट होने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 3.11 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 02 दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 07 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। इंटर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी नियमित अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सूचना संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय को दी जाये।
- 3.12 इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिगम, विधियों एवं संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 3.13 इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों व सामुदायिक इकाइयों से भी सम्पर्क करवाया जावे एवं विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों एवं नो-बैग-डे गतिविधियों में भी सहभागिता सुनिश्चित की जावे।
- 3.14 इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए NCTE के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इंटर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- 3.15 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) है, और इंटर्नशिप करना चाहता है तो महाविद्यालय को उसकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पोर्टल पर करना होगी तथा उनको विद्यालय आवंटन अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही किया जायेगा।
- 3.16 यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती हैं, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित महाविद्यालय की होगी।
- 3.17 यदि प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया, किन्तु किसी भी कारणवश उसने उस विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की है, तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा, किन्तु प्रशिक्षणार्थी द्वारा लिखित अनुरोध करने पर सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि. के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति दी जावे, जिसके आधार पर सम्बंधित संस्था प्रधान उक्त प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवायेंगे।
- 3.18 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है, किन्तु उसकी इंटर्नशिप हेतु सूचनायें शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई हैं, तो इंटर्नशिप के अंतिम चरण में सम्बंधित महाविद्यालय को उसकी सूचनायें दर्ज करने का मौका भी दिया जावे, जिससे शाला दर्पण पोर्टल से उनको विद्यालय आवंटित किया जा सके।
- 3.19 सभी प्रशिक्षणार्थियों के लॉगिन पर भी महाविद्यालयों के द्वारा दर्ज की गई विद्यालय चॉइस को Edit/Delete करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाये ताकि प्रशिक्षणार्थी उसको जांच कर अद्यतन कर सकें।
- 3.20 राजकीय बालिका विद्यालयों में केवल छात्रा/महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का आवंटन किया जायेगा।
- 3.21 समस्त शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप के समय विद्यालयों में अपने महाविद्यालय की यूनिफार्म में आना अनिवार्य होगा।
- 3.22 निजी विश्वविद्यालय जो D.El.Ed./B.Ed./B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed./B.Ed.M.Ed में प्रवेश अपने स्तर पर लेते हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों का इंटर्नशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उसी सत्र में 15 अक्टूबर, 2025 तक आवश्यक रूप से करना होगा।

4.0 इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों के आवंटन के बाद परिवेदनाओं का निस्तारण :

इंटर्नशिप हेतु एक बार विद्यालय आवंटित होने के पश्चात् यदि कोई प्रशिक्षणार्थी विषम परिस्थिति वश विद्यालय परिवर्तन (अन्तर्जिला एवं अन्तर्विद्यालय) करना चाहता है तो इच्छित विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध होने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी स्वयं ही शाला दर्पण पोर्टल के इंटर्नशिप कार्यक्रम लॉगिन से **केवल एक बार** विद्यालय परिवर्तन कर सकेगा।

इसके अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के लॉगिन से सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी, जिससे परिवर्तन के उचित कारण सहित वांछित विद्यालय का चयन करते हुये रिक्वेस्ट सबमिट करने पर विद्यालय परिवर्तन होकर परिवर्तित विद्यालय हेतु आवंटन पत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो जायेगा। यह सुविधा प्रथम बार विद्यालय आवंटन के 10 दिवस तक के लिये उपलब्ध करवाई जायेगी।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।
7. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को देकर लेख है कि आवश्यकतानुसार पोर्टल पर संशोधन करवायें।
8. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर।
9. इंटर्नशिप प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर।
10. सम्बन्धित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालय।
11. समस्त संस्थाप्रधान, पीईईओ, यूसीईओ एवं संस्था प्रधान, राजकीय

Document certified by MUNNI MEENA
<munnameena50@gmail.com>.

Digitally Signed by Munni Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :26-09-2025 05:30:20

RajKaj Ref No. :
17774129

eSign DSC